संसद के समक्ष अभिभाषण* — 25 मार्च 1998

लोक सभा	-	बारहवीं लोक सभा
सत्र	-	बारहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

मुझे लोक सभा के 12वें चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए बहुत हर्ष है। मैं इस नई लोक सभा के सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

मैं भारत के निर्वाचन आयोग का भी आम चुनावों को तत्परता और कुशलता से सम्पन्न कराने के लिए धन्यवाद करता हूं।

हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव ने बदलाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित किया है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कम मतदान होगा जबकि लगभग 62 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव परिणाम इस बात के द्योतक है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान मिलना चाहिए। मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन आकांक्षाओं की पूर्ति हो और साथ ही राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखा जाए।

संसदीय गणित से ही सुशासन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपितु संसदीय बहुमत और अल्पमत के भाव से ऊपर उठकर तथा सहयोग, मेल-मिलाप और आम सहमति की भावना से कार्य करने की इच्छा से ही इसका समाधान निकल सकता है। मेरी सरकार इसी भावना को लेकर शासन में एक नया मार्ग तैयार करेगी

* अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

जिसका उद्देश्य एकता लाना होगा, न कि फूट डालना, अतीत के तुच्छ विरोधों के स्थान पर वार्तालाप, बहस और चर्चा का दौर शुरू किया जाएगा।

मध्यावधि चुनावों के बाद अब राष्ट्र एक ऐसी सरकार को देखना चाहता है जो वास्तव में काम करके दिखाए। सरकार ठीक यही काम करने का इरादा रखती है: अभी जो एकदम तुरंत कार्य किए जाने हैं उनमें 1997-98 की पूरक मांगें और 1998-99 का लेखानुदान पारित करना शामिल है। इसके बाद तुरंत ही विधायी कार्यों सहित शेष निलंबित मामलों को लिया जाएगा।

अब आरंभ में, हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके—जो एक ऐसा भारत हो, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के तीनों अभिशापों से मुक्त हो, एक ऐसा भारत हो जहां निरक्षरता और रोग का नामोनिशान न रहे, एक ऐसा भारत जहां अधिकाधिक लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल सके, एक ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी कोई जाति, नस्ल या धर्म हो, भारतीय होने का गौरव अनुभव करे।

धर्मनिरपेक्षता भारतीय परम्पराओं का अंतरंग भाग है। मेरी सरकार देश के सेक्युलर मूल्यों को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों की सहायता करना है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं और जो शक्ति संपन्न नहीं हैं। हमारे एक-तिहाई से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या उन लोगों की है जिन्हें बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारे इस विशाल जनसमूह को राष्ट्र की समृद्धि में अपना सार्थक हिस्सा मिलना चाहिए।

सरकार बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर प्रत्येक परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि कर तथा यथा-संभव अधिक से अधिक लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करके इन तीन रणनीतियों के जरिए इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है।

अभी तक सामाजिक-आर्थिक नीतियों की एक कमजोरी यह रही है कि सामाजिक क्षेत्र की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। सरकार सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और अधिक धन लगाने की प्रतिज्ञा करती है। शिक्षा पर व्यय को उत्तरोत्तर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत तक ले जाने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ एक निर्धारित समयावधि में प्रत्येक गांव तथा बस्ती में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

हमारी बढ़ती जा रही जनसंख्या की दर गंभीर चिंता का विषय है। सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य होगा कि अन्य बातों के अलावा लोगों को प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाए।

सभ्य समाज में, बच्चों का जन्म सुखमय जीवन बिताने के लिए होता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकांश बच्चे पैदा होने के बाद फैक्टरियों, कारखानों और खेतों में मेहनत-मजदूरी करने में लग जाते हैं। मेरी सरकार मानती है कि बच्चों को स्कूलों और खेल के मैदानों में जाना चाहिए न कि वे अपना जीवन मेहनत-मजदूरी करने में बिताएं। संविधान में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को क्रियान्वित करने के अलावा सरकार बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय अधिकार-पत्र तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा भूखा न सोए। बच्चों के अधिकार हैं और इनका सम्मान किया जाएगा।

आज जो लिंग असमानता तथा अन्याय, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसरों और राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मामलों में दिखाई पड़ता है, उसे समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सरकार महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करेगी ताकि महिलाओं में साक्षरता की कमी की बाधा को दूर करने में भारत विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बन सके। मेरी सरकार महिलाओं की शिक्षा पर धन व्यय कर भारतीयों की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए धन व्यय करेगी।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण संबंधी लंबित विधेयक को तुरंत लिया जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार का पहला बैंक होगा।

सरकार कानूनी, कार्यपालिका संबंधी एवं समाज के प्रयासों को एक साथ मिला करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के तेजी से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति संवर्धन तथा उत्थान का प्रयास करेगी। मेरी सरकार राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के मौजूदा प्रतिशत को बनाए रखने के समुचित उपाय करेगी। अपने इस विश्वास के साथ कि शासन का उद्देश्य फूट डालने की अपेक्षा एकता में पिरोना होना चाहिए, सरकार सामाजिक टकराव और अन्याय की बजाय सामाजिक समरसता तथा न्याय का वातावरण बनाने का प्रयास करेगी।

समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति का लाभ कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित न रहकर अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अत: मेरी सरकार के दो उद्देश्य होंगे, एक तो रोजगार के अवसरों का सृजन करके गरीबी को पूर्णतया समाप्त

करना और दूसरे सकल घरेलू उत्पाद की 7 से 8 प्रतिशत तक की अधिक अभिवृद्धि दर को निरंतर कायम रखना। मेरी सरकार की राष्ट्रीय विकास की योजना का मूल मंत्र "बेरोजगारी हटाओ" होगा।

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार आवास इकाइयों के निर्माण की गति में तेजी लाने तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिए नीतियां तैयार करेगी ताकि सबके लिए आवास का सपना साकार हो सके।

विद्युत, सड़कों तथा पुलों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, सामुद्रिक पत्तनों, नौवहन, हवाई अड्डों, दूरसंचार तथा सूचना टेक्नोलॉजी सहित मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में पूंजी निवेश को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। सरकार राजकोषीय एवं मुद्रा नीतियों का एक ठोस ढांचा तैयार करेगी।

सरकार का यह विश्वास है कि भारत का निर्माण भारतीय ही कर सकते हैं और करेंगे। कोई भी देश जो अधिकांशतया अथवा पूर्णतया विदेशी संसाधनों पर निर्भर करता है सच्चे अर्थों में समृद्ध नहीं हो सकता। अतः अगले पांच वर्षों तक राष्ट्रीय बचत को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र तथा भौतिक मूलभूत ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत भाग अनिगमित क्षेत्र से प्राप्त होता है जो अब तक उपेक्षित रहा है सरकार का देश में विद्यमान लाखों लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने का विचार है। अर्थव्यवस्था के इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें रोजगार के अवसरों के सृजन एवं विकास की अपार क्षमता है, सरकार एक समर्पित विकास बैंक स्थापित करने पर विचार करेगी।

सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में श्रमिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कृषि श्रमिकों, जो कि अधिकतर असंगठित हैं, के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

कृषि के क्षेत्र में धन लगाने में लगातार कमी करते रहने के कारण इसे हानि उठानी पड़ी है। सरकार इस कमी को रोकेगी और हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खण्ड के लिए योजना राशि का 60 प्रतिशत तक धन निर्धारित करेगी। आर्थिक सहायता जारी रहेगी, परन्तु जिन्हें यह सहायता मिलनी चाहिए, उनके बारे में पहचान करने में लक्ष्य को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार हमारे किसानों को समृद्धि के लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक सशक्त तथा आत्म-विश्वासी समुदाय के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा मेरी सरकार कारगर फसल बीमा नीतियां शुरू करके किसानों को आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी संरक्षण प्रदान करेगी। सभी प्रयास किए जाएंगे जिससे तेजी से ग्रामीण औद्योगिकरण किया जाए जिसमें कृषि आधारित उद्योग पर विशेष बल दिया जाएगा।

चूंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपाय करेगी कि विकास के सभी कार्यक्रम दीर्घकालिक विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हों। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि दीर्घकालीन विकास की सफलता और भारत को एक समृद्ध, सुदृढ़ तथा स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में मेरी सरकार तुरंत ही सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी और ऐसे तौर-तरीके अपनाने का प्रयास करेगी जिनसे पंचायत स्तर तक और अधिकार सौंपे जा सकें। प्राय: राज्यपाल के पद के मामले में अशोभनीय विवाद खड़े हुए हैं। राजभवनों का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को सरकारी भाषाओं के रूप में मानने की व्यावहारिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाएगी।

सरकार राज्यों द्वारा संसाधनों के और अधिक आबंटन की मांग पर ध्यान देगी। एक पिछड़ा क्षेत्र आयोग बनाया जाएगा जो उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ताकि ये क्षेत्र विकास में पीछे न रह जाएं।

सरकार उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल*, बिहार में से वनांचल और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जाएगी, जिसमें विवादों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटाने और समयबद्ध कार्यान्वयन का प्रावधान रहेगा।

राष्ट्र और इसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरी सरकार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्र की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी। हम इस बारे में किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मेरी सरकार राष्ट्र के साथ मिलकर हमारी सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की वीरता को नमन करती है जो देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस करने और भय मुक्त रहने का अधिकार है। आज आम आदमी पर जो आतंकवाद, तोड़-फोड़ और विद्रोही गतिविधियों का खतरा छाया हुआ है, सरकार उसका मुकाबला करने का प्रयास करेगी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मतभेदों का समाधान बातचीत और चर्चा से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

मेरी सरकार सभी राष्ट्रों के बीच शान्ति, विश्व में सभी लोगों की समृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा अपनी अधिक भूमिका निर्वाह करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। हम एशिया के देशों की एकता तथा अधिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास करेंगे। बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अथवा हस्तक्षेप के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए फिर से प्रयास किए जाएंगे।

विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके घटकों का पुनर्गठन करना है जिससे कि उन्हें और अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जा सके तथा जो समकालीन विश्व का और भी अधिक प्रतिनिधित्व कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के बारे में हमने अपने विचार विश्व समुदाय के सामने रख दिए हैं और हम अपने उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक जुटे रहेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में हम अपने सहयोगी सदस्य देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों को उचित स्थान दिलाने की जिम्मेदारी लेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक अन्य प्राथमिकता है जिसे हम बढ़ावा देंगे।

सरकार एक राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करेगी जो हमारी सामाजिक जरूरतों तथा सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया में हो रही प्रगति को समन्वित करेगी।

स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम पुनः अपने संस्थानों को सशक्त बनाएं ताकि वे भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन सकें। सरकार ऐसा ही करने का इरादा रखती है और संविधान की समीक्षा करने एवं अपनी सिफारिशें देने के लिए एक आयोग बनाएगी ताकि भूतकाल में जो असामान्य अनुभव हुए हैं, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

इससे पहले मैं, भारत के लोगों को सुशासन देने की सरकार की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता का उल्लेख कर चुका हूं। यह तभी संभव है जब सरकार नैतिकता और सदाचार की नींव पर खड़ी हो। हम अपने चारों तरफ राजनीति में नैतिकता और शासन में सदाचार के प्रति निरन्तर उपेक्षा भाव को बढ़ता देख रहे हैं। इससे सरकार में लोगों का विश्वास बुरी तरह क्षत-विक्षत हुआ है।

सरकार लोकपाल विधेयक पारित कर सार्वजनिक पद पर बैठे सभी लोगों को जवाबदेह बनाना चाहती है सरकारी गोपनीयता अधिनियम की समीक्षा की जाएगी ताकि सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून को इसमें शामिल किया जा सके। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सकेगा।

भ्रष्टाचार और हमारी राजव्यवस्था में मूल्यों के ह्रास तथा राजनीति के अपराधीकरण का एक कारण चुनावी प्रक्रिया में दोषों की व्याप्ति है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने और धन तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी, जिसके लिए पहले ही आधारभूत कार्य किया जा चुका है।

आम सहमति-निर्माण राष्ट्र-निर्माण का एक अत्यावश्यक अंग है। समाज की व्यापक भलाई के लिए सहयोग हमारी सभ्यता का आधार है। हमारा लोकतंत्र एक बहु-पार्टी जनतंत्र है जिसमें व्यापक आम राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों में परस्पर रचनात्मक वार्तालाप, परामर्श एवं सहयोग अत्यावश्यक है।

अतः सरकार जहां तक व्यवहार्य हो, आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है, चुनावी सुधार, केन्द्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना कर उनका शक्ति संवर्धन, अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना है।

माननीय सदस्यों, आपको आम सहमति की इस प्रक्रिया को तैयार करने में रचनात्मक योगदान करने का एक अमूल्य विशेष अवसर प्राप्त हुआ है जिस पर 21वीं सदी और आगे आने वाली सहस्त्राब्दी में इस महान राष्ट्र के भविष्य का दारोमदार है।

यह वर्ष अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह हमारी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष है। यह महात्मा गांधी के अमर बलिदान का भी 50वां वर्ष है—जो इस शताब्दी के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदानों के उत्तराधिकारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वप्नों एवं आदर्शों को साकार करें।

इस अभूतपूर्व कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द।